**भारत सरकार**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या : 3265**
**दिनांक 12 मार्च, 2026**

**पीएसयू द्वारा खर्च की गई सीएसआर निधि**

**†3265. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोलः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्वीकृत और खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों के नाम, स्वीकृत और उपयोग की गई निधि की राशि, परियोजनाओं की प्रकृति और कार्यान्वयन की स्थिति का पीएसयू-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री सुरेश गोपी)**

(क) से (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अन्तर्गत अभिज्ञात शीर्षों के अंतर्गत स्वास्थ्य (पोषण, स्वच्छता एवं पेयजल), शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण उन्मुखी पहलों एवं वयोवृद्धों और दिव्यांगों की देखभाल पर विशेष बल देते हुए नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी कार्यकलाप किए जाते हैं। सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने, अनुमोदन करने, निष्पादित करने और निगरानी करने के लिए शक्ति सम्पन्न है। सीएसआर कार्यकलाप कंपनियों द्वारा स्वयं या कंपनी अधिनियम की धारा 135 के सीएसआर नियमों में परिभाषित मानदंडों के आधार पर चयनित किसी भी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से किए जाते हैं। चित्रदुर्ग ज़िले सहित कर्नाटक के सभी ज़िलों में विगत पांच वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा व्यय किए गए सीएसआर निधियन का परियोजना-वार, राज्य-वार, जिला-वार आँकड़े सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनियों अर्थात www.ongcindia.com, www.iocl.com, www.bharatpetroleum.com, www.hindustanpetroleum.com, www.gailonline.com; www.oil-india.com. की संबंधित वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं।

*****